









**कार्यालय,**

**उच्च शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश सखनऊ**

संख्या:- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

सखनऊ: दिनांक: 30/06/2022

**:-कार्यालय तार:-**

उच्च शिक्षा आयोग तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमेशी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शीकन सत्र 2022-23 हेतु किन्हींमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, आसम सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/06/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सदी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, आसम सखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2147-BABU SUNDER SINGH COLLEGE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निरीत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी0 पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30,150,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0 45,000,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0 22,500,000/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर साजन द्वारा निरीत किये जाने वाले शासनादेशों



प्रभावी होंगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा एटि. संव. 2022-23 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो वीस की नवीनतम दर लागू होंगी।

- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आर्गेंटिड छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासन/देश के अनुमति निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/निषेध/अधिनिषेध/शासन/देशी/निर्देशी एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प०, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प० द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई काद टापर किया जाता है तथा टापर जाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति पदान नहीं की जावेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करन बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराता होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेजिड रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को प्रभावे करने हेतु निर्देशन समिति । समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त न प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्कार संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की कार्यवाही न जावेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वतंत्र निर्माण के दौरान यदि संस्था ने भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था न सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनानुसक कार्यवाही की जावेगी।

  
  
Secretary  
Council of Technical Education  
Uttar Pradesh

(एकपुजारो खान)

सचिव

न०सं०- प्राविप/पविचद/सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि

प्राजासंघ/पे/निदेशक, BABU SUNDER SINGH COLLEGE OF PHARMACY



(एकपुजारो खान)

सचिव

